कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनूं

क्रमांक .... दिनांक 08/05/2023

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियम 2010 के नियम II के उपनियम 4 के अधीन डूण्डलोद विद्यापीठ, डूण्डलोद को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं क्रमांक जिशिअ/प्रार/झु/मान्यता/2012/913 के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त है।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनूं द्वारा डूण्डलोद विद्यापीठ, डूण्डलोद में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विधालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का लगातार गत वर्षों एवं सत्र 2022–23 में भी विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

अ० जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
माध्यमिक झुन्झुनूं

अति. जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक झुंझुनूं

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) झुंझुनूं
क्रमांक 1337
दिनांक 8/5/23

Secretary
DUNDLOD VIDYAPEETH
DUNDLOD-333702

PRINCIPAL
DUNDLOD VIDYAPEETH
Sen. Sec. CBSE Affiliated
DUNDLOD-333702

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं

दूरभाष एवंफैक्सनम्बर– 01592 - 235475/ 235474 E mail Id :- deoelejjn@gmail.com

क्रमांक – जिशिअ / प्रार / झु / मान्यता / 2012 / 913 दिनांक:– 30.10.11

प्रबन्धक

डुण्डलोद विद्यापीठ,
डुण्डलोद

विषय –नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक ~~23 फरवरी 2012~~ 19.10.11 के आवेदन और इस संबंध मे विधालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै. 1/4/10 (माध्यम) को दिनांक ~~सत्र 2012~~ से दिनांक:– 31/3/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 (Eng) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहो हैं और उसमें किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गो और अलाभ पद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विधालय किसी कैपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि –

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विधालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालको शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।

(VI) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर एसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

(VIII) अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों मे नियोजित नहीं करेगा।

8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विधालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामाकन करेगा।

10 विधालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है–

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

कीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षा कमरो की सख्या

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष

बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधा रहित पहुच

अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलाई जायेगी।

12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

15 विधालय के लेखाओ के चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।

16 आपके विधालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक...913....है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।

17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत कर्ता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

18 सोसायटी के पजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

19 सलग्न उपाबध–111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

20. R.T.E. 2009 के समस्त मापदण्डों की पूर्ति आवश्यक है, वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

DUNDLOD VIDYAPEETH
Chairman Executive

PRINCIPAL
DUNDLOD VIDYAPEETH
Sen. Sec. CBSE Affiliated
DUNDLOD-333702
Dist. Jhunjhunu (Raj.)

:: आदेश ::

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुवे सत्र 2000 से निम्नांकित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख दर्शायीगयी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी माध्यम की अस्थाई मान्यता आगामी तीन सत्र के लिए (वर्ष 2000- से 2003 तक) उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथपत्र के आधार पर परिशिष्ट-II की पूर्ति पर दी जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है। यदि संस्था हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शि. संस्था की हिन्दी माध्यम से मान्यता तत्काल निरस्त कर आदेश की प्रति निदेशालय को भिजवावें।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता का स्तर
1-	होली मिशन पब्लिक स्कूल, 2-ई-24, पवनपुरी, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
2-	सेन्ट्रल अकेडमी, बी-50, करणीनगर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
3-	डिफेन्स पब्लिक स्कूल, ए-18, कैलाशपुरी, भवरगढ़ के पास, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
4-	ज्ञानायतन उ.प्रा. विधालय, इंग्लू हाउस, एम.एस. गर्ल्स- हास्टल के पास बीकानेर	उच्च प्राथमिक
5-	अर्डस इंगलिश स्कूल, चोरड़िया चौक, गंगाशहर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
6-	कीर्ति पब्लिक स्कूल, पुष्करणा स्टेडियम के पास, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
7-	संवित शिक्षण संस्थान, गांधीनगर, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
8-	एल.एस. कान्वेंट स्कूल, शार्दुल कालोनी, बीकानेर	उच्च प्राथमिक
9-	सेन्ट्रल चिल्ड्रन अकेडमी, बी-1, मैन बाजार, झुन्झुनू	प्राथमिक
10-	श्री स्वरस पब्लिक स्कूल, बगड़, जिला झुन्झुनू	उच्च प्राथमिक
11-	डुण्डलोद विधापीठ, डुण्डलोद, जिला झुन्झुनू	उच्च प्राथमिक
12-	श्रीमती कमलादेवी बागडोदिया विधा मन्दिर, मुकुन्दगढ (जिला झुन्झुनू)	प्राथमिक
13-	एनी बेसेन्ट कान्वेन्ट स्कूल, ब्राहम्णधर्मशाला के पास वार्ड- 19, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर	उच्च प्राथमिक
14-	[illegible] पब्लिक स्कूल, 166-पी ब्लाक, श्री गंगानगर	प्राथमिक

क्र.सं.	संस्था का नाम	मान्यता का स्तर
89-	हाल मार्क इन्टरनेशनल स्कूल, महेशनगर एक्सटेंशन-बी, जयपुर	उच्च प्राथमिक
90-	टेण्डर बड स्कूल, 3/56 विद्याधरनगर, जयपुर	प्राथमिक
91-	सन फ्लावर पब्लिक स्कूल, 505, गणगौरी बाजार, जयपुर	उच्च प्राथमिक
92-	प्यारा पब्लिक स्कूल, बी-98, जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, रोड़ नं. 1 विश्वकर्मा, जयपुर	उच्च प्राथमिक
93-	सेन्ट आगस्टीन कान्वेन्ट स्कूल, हरिमार्ग, मालवीया नगर, जयपुर ।	उच्च प्राथमिक
94-	लिटलिंग किंडरगारटन पब्लिक स्कूल, 138, नन्दपुरी कालोनी हवासड़क, जयपुर ।	उच्च प्राथमिक
95-	तक्षशिला शिक्षा निकेतन, 16-17, प्रतापनगर, जयपुर	उच्च प्राथमिक
96-	इमानुयल मिशन स्कूल, शाहपुरा जिला जयपुर	उच्च प्राथमिक

क्र.सं. 2, 9, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 61, 75, 80 व 92 संस्था ओं को संयुक्त आरक्षित कोष प्राथमिक स्तर हेतु रुपये 2000/- एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु रुपये 5000/- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संस्था के संयुक्त नाम से बनाकर प्रति निदेशालय को 15 दिन में प्रेषित करने की शर्त पर दी जाती है । सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय सम्बन्धित संस्थाओं से उपरोक्त आदेश पूर्ण करवाने की कार्यवाही करावें ।

ह0/-
(आशुतोष गुप्त)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांक-शिविरा/प्रार/प्राथ/मा/3700/2000/18 दिनांक 31.3.2000
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1) उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ...
2) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय
3-) सम्बन्धित संस्था को रजिस्टर्ड
4) गार्ड पत्रावली ।

31/3/2000
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

आरटाक)